संख्या- 113/2016/1493/26-3-2016-10(08)/2012

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 09 जून, 2016

विषयः- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मऊ घनश्यामपुर, फैजाबाद के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1684/26-3-2015-10(08)/2012 दिनांक-19.01.2015 एवं शासनादेश संख्या-52/2016/769/26-3-2016-01(01)/2010 टी.सी., दिनांक-18.03.2016 के क्रम में निदशालय समाज कल्याण के पत्रांक संख्या-287-88/स0क0/विकास/ए0टी0एस0-मऊ घनश्यामपुर, फैजाबाद/86/2015-16 दिनांक-13.05.2016 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मऊ घनश्यामपुर, फैजाबाद के पुनरीक्षित आगणन रू0-1190.97 लाख के सापेक्ष अवशेष 5 प्रतिशत धनराशि रूपया-59,55,000/-(रूपये उनसठ लाख पचपन हजार मात्र) व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही धनराशि आहरित करके कार्यदायी संस्थ, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जायेगा। ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और यदि उक्त आश्रम पद्धति विद्यालय के लिए पूर्व में स्वीकृत, अप्रयुक्त धनराशि उपलब्ध है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण पूर्व स्वीकृत अप्रयुक्त उपलब्ध धनराशि के उपयोग कर लिए जाने के उपरान्त किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें। उक्त प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिर्वतन, अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत प्रायोजना में अवशेष कार्यो के अन्तर्गत 417.45 र0मी0 में आन्तरिक रोड़ (सी0सी0 रोड़) हेतु रू0 25.97 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभाग द्वारा सी0सी0 रोड के स्थान पर इन्टर लाकिंग टाइल्स कार्य हेतु धनराशि अनुमन्य की गयी है।

(6) प्रश्नगत प्रायोजना अन्तर्गत 11557.83 घ0मी0 मिट्टी भराई हेतु रू0 27.55 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति से संस्तुति न होने के कारण प्रभाग द्वारा इस धनराशि में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष फिलहाल एकमुश्त रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। ताकि निर्माण कार्य में कोई कठिनाई न हो। अवशेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के पश्चात देय होगी।

(7) प्रश्नगत प्रायोजना में विद्युत संयोजन हेतु रू0 5.00 लाख का प्राविधान किया गया है जिसे प्रभाग द्वारा यथावत मानते हुए अनुमन्य कर दिया गया है। प्रभाग के अनुसार उक्त धनराशि पावर कारपोरेशन से प्राप्त रसीद के आधार पर वास्तविक धनराशि देय होगी।

2- उपर्युक्त स्वीकृतियों से संबंधित धनराशियां व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में निहित निर्देशों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- **उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को दिये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

<u>संख्या-113/2016/1493(1)/26-3-2016 तददिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0
8- अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, फैजाबाद, जनपद इकाई।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10-सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in